न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी–चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस.
मुकदमा नम्बर :–31/2017 प्रार्थना पत्र
श्रीमति ग्यारसी देवी पत्नि सत्यनारायण चौहान, उम्र बालिग निवासी यूआईटी के पीछे, गलाण–भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

------प्रार्थीया

बनाम

–श्री डालचन्द पिता रूपलाल विश्नोई, उम्र बालिग निवासी दरीबा तहसील व जिला भीलवाड़ा
–श्री किशनलाल पिता रूपलाल विश्नोई, उम्र बालिग निवासी दरीबा तहसील व जिला भीलवाड़ा
–श्री रणजीत लाल पिता रूपलाल विश्नोई, उम्र बालिग निवासी दरीबा तहसील व जिला भीलवाड़ा
–श्री भगवान लाल पिता रूपलाल विश्नोई, उम्र बालिग निवासी दरीबा तहसील व जिला भीलवाड़ा
–श्री गोरधनलाल पिता रूपलाल विश्नोई, उम्र बालिग निवासी दरीबा तहसील व जिला भीलवाड़ा
–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांकः–6.3.2018

वकील प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पांसल वार हल्का पांसल भू–अभिलेख निरीक्षक सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी र 2864 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 2865 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 2865/1 रकबा 1 बिस्वा कुल ता 3 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात पड़ौसी हैं। प्रार्थीया के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीया अपने खाते एवं कब्जे काश्त की राजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र कार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दिनांक 8.2.2017 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये न विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1, 2 व 5 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण संख्या 1, 2 व 5 द्वारा दिनांक 26.2.2018 को प्रार्थना पत्र त कर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की। विपक्षी संख्या 3, 4 व 6 जूद सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 26.2.2018 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थीया ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीया की एक बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि प्रार्थीया को अपने खाते व काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीया अपने खाते एवं काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में रहने के कारण प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ, अतः

:: आ दे श ::

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

प्रार्थीयो का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत ार किया जाकर ग्राम पांसल पटवार हल्का पांसल भू–अभिलेख निरीक्षक सुवाणा तहसील व जिला ाड़ा मे स्थित हाल आराजी नम्बर 2864 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 2865 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 5/1 रकबा 1 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि की सीमा की पुख्ता जानकारी के पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख क्षक, सुवाणा को 500/–रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस या मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में रगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(चिन्मयी गोपाल)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 6.3.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner